तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री मदनलाल गर्जर, अभिभाषक अपीलांट ।
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट।

आदेश

हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–2–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1759/1359 रकबा 1 बीधा का आवंटन नियमानुसार दिनांक 27–12–04 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर किया गया। रेस्पोंडेंट रामेश्वरलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत कर उक्त आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29–8–05 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 2–2–06 द्वारा अपील एकपक्षीय स्वीकार कर अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलांट का आवंटन विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की गई है। अपीलांट को विधिवत नोटिस तामील कराये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये आवंटन खारिज किया है। अपर जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय में कहा कि रेस्पोडेंट सं.1 रामेश्वरलाल के यदि कोई हक हकूक विवादित आराजी पर हो तो सक्षम न्यायालय में चुनोती देकर तय करवा सकता है। रेस्पोडेंट ने विवादित आराजी अपनी खातेदारी की होना साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है। अपीलांट अनुसूचित जाति का भूमिहीन सदस्य है। भूमि आवंटन की पात्रता रखने की स्थिति में उसे आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपर जिला कलेक्टर ने रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) साबित नहीं होने की तथा विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त होने की स्थिति में खारिज किया था। किंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि अपीलांट को आवंटित की गई भूमि रेस्पोडेंट के पिता के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी का हिस्सा है और आज भी उनके कब्जेकाश्त में है। भू प्रबंध विभाग ने दोराने बंदोबस्त विवादित आराजी को बिलानाम दर्ज कर दी। आवंटित आराजी के चारों और की भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी की आराजी है। आवंटी को कब्जा नहीं दिया गया है। अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत रिकोर्ड एवं रिपोर्ट का सहीं विश्लेषण व विवेचन कर रेस्पोडेंट की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्यन किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि विवादित आराजी 1759/1395 उसके पिता के नाम अंकित आराजी नंबर 1395 का भाग है तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा अलग से आराजी नंबर 1759/1395 कायम करते हुये बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया तथा उक्त इंद्राजात के आधार पर भू आवंटन कमेटी के द्वारा वर्तमान अपीलांट के नाम 27–12–04 को भूमि का आवंटन कर दिया तथा विवादित आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जाकाश्त है। आवंटन बाबत् पटवारी रिपोर्ट में भी रेस्पोडेंट के पिता का कब्जा अंकित है तथा पी–14 संवत् 2058 से 2061 में उसके पिता का नाजायज कब्जा बता रखा है। इस संदर्भ में अपीलांट/आवंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रार्थना पत्र पर पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के कॉलम संख्या–(3) में उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति का नाजायज कब्जा नहीं होना अंकित किया है तथा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि पी–14 जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 में जीतु पुत्र सूरजमल के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाहीं हुई है जो कि पी–14 में दर्ज है। इसके उपरांत पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त भूमि को अनाधिवासित मानते हुये आवंटन किया गया है। यदि किसी भी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण है तो अतिक्रमी को बेदखल करने के उपरांत आवंटन करने हेतु सलाहकार समिति स्वतंत्र है। पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो इस तथ्य की पुष्टि करता हो कि उक्त आवंटन बाबत् किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गई। अपीलांट को आवंटन बाबत् जारी उदघोषणा के समय ही चुनोती देनी चाहिये थी। हम अपर जिला कलेक्टर के इस मत से सहमत है कि उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर करके ही वांछित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। यदि रेस्पोडेंट का आवंटन खारिज भी हो जाता है तो इससे अपीलांट को किसी प्रकार का वांछित अनुतोष प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2–2–06 में यह माना है कि मांगीलाल वर्तमान अपीलांट को प्रश्नगत भूमि के आवंटन किये जाने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं हुई है तथा अपर जिला कलेक्टर न्यायालय में निर्णय के उपरांत अपीलांट के द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के बाबत् वाद भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। परंतु राजस्व अपील प्राधिकारी ने उक्त भूमि के बाबत् पूर्व में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाहीं किये जाने व आवंटी/अपीलांट द्वारा आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत 14(4) की कार्यवाहीं में कंटेस्ट नहीं किये जाने के आधार पर यह मानते हुये कि उसकी वर्तमान आवंटन में कोई दिलचस्पी नहीं है, के आधार पर 14(4) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है तथा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर के निर्णय को अपास्त किया है। जब न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उक्त आवंटन में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं मानी है तो उपरोक्त वर्णित आधारों पर आवंटन खारिज करने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा का निर्णय दिनांक 2–2–06 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाडा का निर्णय दिनांक 29–8–05 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	